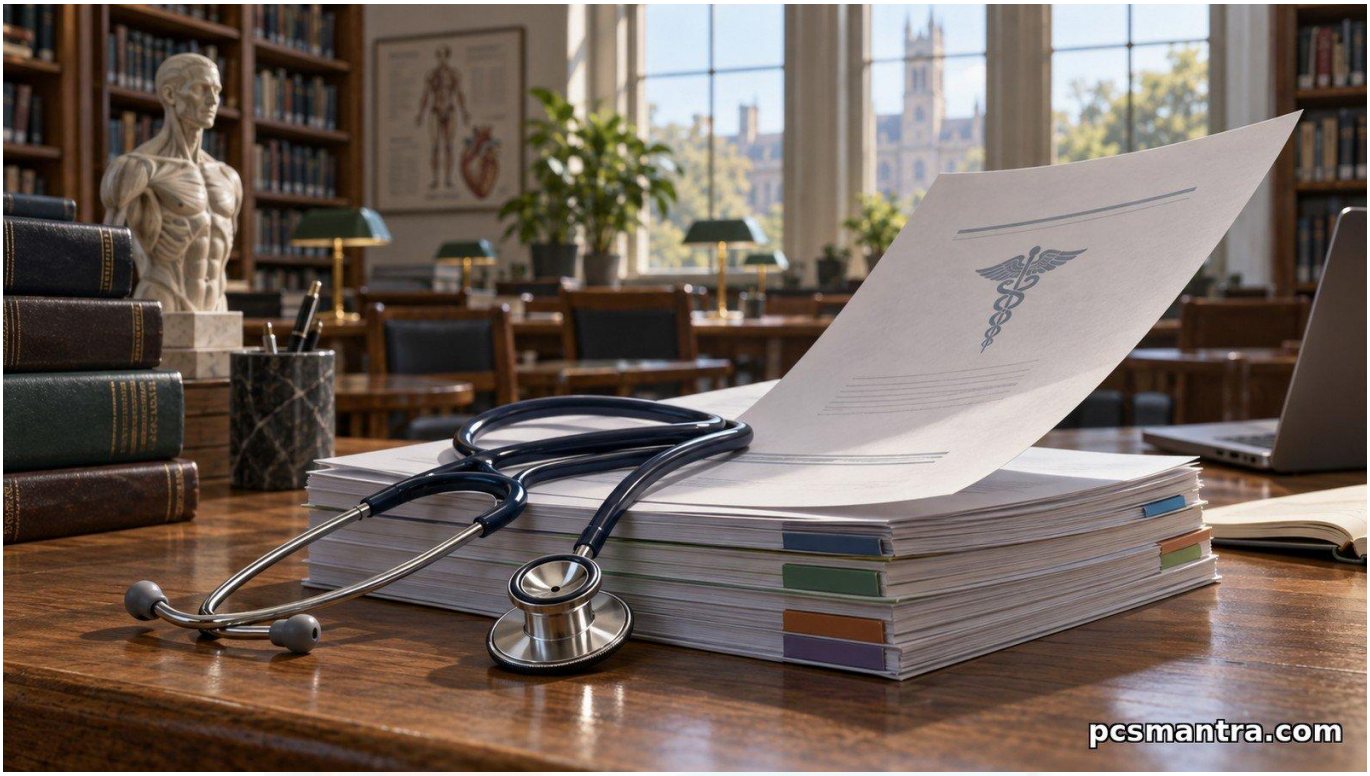
NMC ने MSMER-2023 नियम वापस लिए: दंड और सत्यापन-ढाँचे पर उठे सवाल

प्रारंभिक परीक्षा – अभ्यास प्रश्न | समाचार संदर्भ: 24 अक्टूबर 2026 | प्रकाशित: 27 अक्टूबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने चिकित्सा शिक्षा के मानकों के रखरखाव संबंधी विनियम, 2023 (Maintenance of Standards of Medical Education Regulations, 2023, MSMER-2023) को 17 अक्टूबर 2026 से वापस ले लिया। इससे यह सवाल उठा है कि मेडिकल कॉलेजों के उल्लंघनों पर दंड कैसे दिया जाएगा और निर्धारित मानकों के पालन का सत्यापन शेष नियामकीय ढाँचे में कैसे होगा।

मुख्य तथ्य

- **वापसी कैसे हुई:** 14 अक्टूबर की अधिसूचना से तत्काल प्रभाव से, जो 17 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशित हुई। NMC के अनुसार MSMER-2023 की जगह कोई एक नया विनियम नहीं आया है। मेडिकल कॉलेजों द्वारा वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट (ADR) देने की अनिवार्यता NMC अधिनियम, 2019 और अन्य लागू विनियमों के तहत जारी रहेगी।
- **चिंता के तीन क्षेत्र (स्वास्थ्य-कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के अनुसार):** (1) MSMER-2023 के विशिष्ट दंडों का कथित रूप से हटना, जिनमें निर्दिष्ट उल्लंघनों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और झूठे रिकॉर्ड देने वाले संकाय और प्रशासकों पर 5 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत जुर्माना शामिल था; (2) कॉलेजों के संकाय, बुनियादी ढाँचे, क्लिनिकल सुविधाओं और रोगी-भार के वार्षिक प्रकटीकरण का सत्यापन; (3) MSMER-2023 में दी गई प्रवर्तन और अपील की विशिष्ट प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं का हटना।

- **आलोचकों के तर्क:** रोगी-सुरक्षा कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा (PSAIIF) ने कहा कि विस्तृत विनियमन हटाने और समतुल्य सुरक्षा-उपाय स्पष्ट न करने से अनिश्चितता बनती है। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा। नेत्र-रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा कार्यकर्ता डॉ. बाबू के.वी. ने कहा कि खंड 8(2)c, जिसमें झूठी घोषणा या रिकॉर्ड देने पर 5 लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान था, व्यक्तिगत जवाबदेही की कुंजी है, और उसे हटाना नियामकीय निगरानी में ढील है।
- **NMC का पक्ष:** एक वरिष्ठ NMC अधिकारी ने द हिंदू से कहा कि निर्णय को "गलत समझा गया" है। आयोग की विधि-टीम की समीक्षा के बाद नियामकीय शक्तियों को सुव्यवस्थित करने और अतिव्यापी ज़िम्मेदारियाँ हटाने की सिफ़ारिश की गई थी। NMC का कहना है कि इससे दोहराव खत्म होता है, मानकों में ढील नहीं आती, और निरीक्षण व सत्यापन की उसकी शक्तियाँ बरकरार हैं।
- **आयोग की संरचना:** NMC चार स्वायत्त बोर्डों के माध्यम से काम करता है। दो बोर्ड स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मानक तय करते हैं, एक मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन, रेटिंग, संस्थागत निरीक्षण और नियामकीय कार्रवाई करता है, और चौथा चिकित्सा पंजीकरण, व्यावसायिक आचरण और नैतिकता देखता है।
- **पूर्वव्यापी नहीं:** राजपत्र अधिसूचना के अनुसार वापसी से MSMER-2023 के तहत पहले की गई कार्रवाइयाँ, दी गई मंज़ूरियाँ और अर्जित अधिकार, दायित्व और देनदारियाँ प्रभावित नहीं होंगी। वापसी से पहले लंबित आवेदन, कार्यवाहियाँ, अपीलें और जाँचें जहाँ तक लागू हों, उन्हीं विनियमों के तहत निपटाई जाएँगी। वापसी के बाद उठने वाले मामले NMC अधिनियम और तब लागू वैधानिक व विनियामक प्रावधानों से चलेंगे।
- **संदर्भ-आँकड़े:** अगस्त 2026 में उद्धृत सरकारी आँकड़ों के अनुसार भारत में 846 मेडिकल कॉलेज, 1,39,864 MBBS सीटें और 86,360 स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटें थीं। रिपोर्ट के अनुसार यह वापसी स्नातक चिकित्सा प्रवेश-परीक्षा में जवाबदेही के लिए हुए देशव्यापी आंदोलन के कुछ ही समय बाद आई।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक: NMC अधिनियम, 2019, NMC के चार स्वायत्त बोर्ड, वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट (ADR)।

मुख्य परीक्षा (GS-2: स्वास्थ्य, शिक्षा, नियामक संस्थाएँ): विस्तृत विनियमों को हटाकर सरलीकरण करने और प्रवर्तन में रिक्तता छूटने के बीच का अंतर, तथा चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता के स्वतंत्र सत्यापन की ज़रूरत।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

चिकित्सा शिक्षा के नियमन में विस्तृत दंड-प्रावधानों की भूमिका और उन्हें हटाने के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। MSMER-2023 की वापसी के संदर्भ में NMC के तर्क और आलोचकों की चिंताओं पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: MSMER-2023 की 17 अक्टूबर 2026 से वापसी (14 अक्टूबर की अधिसूचना, 17 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशित) और उससे उठा दंड व मानकों के पालन के सत्यापन का सवाल रखें।

मुख्य भाग में: दंड-प्रावधानों की भूमिका समझाएँ - निर्दिष्ट उल्लंघनों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और झूठे रिकॉर्ड देने पर संकाय-प्रशासकों को 5 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत जुर्माना (खंड 8(2)c)। हटाने के संभावित प्रभाव में आलोचकों की तीन चिंताएँ रखें - विशिष्ट दंडों का कथित हटना, संकाय, बुनियादी ढाँचे, क्लिनिकल सुविधाओं और रोगी-भार के वार्षिक प्रकटीकरण का सत्यापन, तथा प्रवर्तन और अपील की विशिष्ट प्रक्रियाओं व समय-सीमाओं का हटना; बेजोन कुमार मिश्रा की अनिश्चितता वाली चेतावनी और डॉ. बाबू के.वी. की व्यक्तिगत जवाबदेही वाली चिंता जोड़ें। NMC का तर्क भी दें - विधि-टीम की समीक्षा के बाद अतिव्यापी ज़िम्मेदारियाँ हटाना, दोहराव खत्म होना, मानकों में ढील न आना, निरीक्षण व सत्यापन की शक्तियाँ बरकरार रहना, ADR की अनिवार्यता NMC अधिनियम, 2019 के तहत जारी रहना और वापसी का पूर्वव्यापी न होना।

निष्कर्ष में: विस्तृत विनियमों को हटाकर सरलीकरण करने और प्रवर्तन में रिक्तता छूटने के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता के स्वतंत्र सत्यापन की ज़रूरत पर निष्कर्ष दें।

स्रोत और सीमाएँ

- The Hindu, 24 अक्टूबर 2026 (पढ़ा): NMC withdraws 2023 rules on medical education standards, raising accountability concerns
- **सीमाएँ:** सभी तथ्य इसी रिपोर्ट पर आधारित हैं। हमने राजपत्र अधिसूचना या MSMER-2023 का मूल पाठ सीधे नहीं देखा। दंड-प्रावधानों के हटने के बारे में दावे आलोचकों के हैं, जिन्हें NMC "ढील नहीं" बताता है। NMC अधिकारी का नाम रिपोर्ट में नहीं है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. NMC ने MSMER-2023 को किस प्रकार वापस लिया?

(a) 14 अक्टूबर की अधिसूचना से, जो 17 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशित हुई

(b) संसद के अधिनियम द्वारा

(c) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से

(d) राष्ट्रपति के अध्यादेश से

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (a)। रिपोर्ट के अनुसार वापसी 14 अक्टूबर की अधिसूचना से हुई, जो 17 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशित हुई, और वापसी 17 अक्टूबर से प्रभावी है।

2. वापसी के बाद वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट (ADR) के बारे में NMC ने क्या कहा?

(a) ADR की अनिवार्यता समाप्त हो गई

(b) ADR की अनिवार्यता NMC अधिनियम, 2019 और अन्य लागू विनियमों के तहत जारी रहेगी

(c) ADR केवल निजी कॉलेजों पर लागू होगी

(d) ADR का स्थान एक नए एकल विनियम ने ले लिया है

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (b)। NMC के अनुसार MSMER-2023 की जगह कोई एकल नया विनियम नहीं है, और ADR की अनिवार्यता मौजूदा कानूनी ढाँचे में बनी रहेगी।

3. रिपोर्ट में बताए गए घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. राजपत्र अधिसूचना के अनुसार वापसी से MSMER-2023 के तहत पहले की गई कार्रवाइयाँ प्रभावित नहीं होंगी।
II. NMC ने स्वीकार किया है कि वापसी से नियामकीय निगरानी में ढील आई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और II दोनों
(d) न I, न II

उत्तर और कारण देखें

उत्तर: (a) केवल I। ढील की बात आलोचकों ने कही है। NMC का कहना है कि इससे दोहराव खत्म होता है और मानकों में ढील नहीं आती।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: MSMER-2023 वापस लिया गया, पर NMC के अनुसार वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट देने की अनिवार्यता जारी है।

प्रश्न: MSMER-2023 कब वापस लिया गया?

लेख के अनुसार यह 17 अक्टूबर 2026 से वापस लिया गया। अधिसूचना 14 अक्टूबर की थी और 17 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशित हुई।

प्रश्न: क्या उसकी जगह एक नया विनियम आया है?

NMC के अनुसार कोई एक नया विनियम उसकी जगह नहीं आया है। ADR की अनिवार्यता अधिनियम और अन्य लागू विनियमों के तहत जारी है।

प्रश्न: NMC ने मानकों और निगरानी पर क्या पक्ष रखा?

NMC ने कहा कि वापसी से दोहराव समाप्त होता है, मानकों में ढील नहीं आती। आयोग के अनुसार निरीक्षण और सत्यापन की शक्तियाँ बरकरार हैं।